



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35428

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2350 वर्ष 2026

श्रीमती उमा राजपूत

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: नन्द किशोर मिश्रा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नन्द किशोर मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की अभ्यावेदन यह है कि यद्यपि उन्हें दिनांक 16.04.2019 को मुख्य सेविका के पद पर नियुक्त किया गया था, तथापि दिनांक 30.04.2021 से 07.05.2021 की अवधि हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि रुपये 2,38,406/- अब तक अदा नहीं की गई है।
3. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया विचार प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4. न्यायालय में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि याचिकाकर्ता एक समग्र अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति एवं इस आदेश की प्रमाणित प्रति सहित प्रत्यर्थी संख्या-3 के समक्ष प्रस्तुत करे, जो उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता के दावे पर विधि के अनुसार, कड़ाई से, इस आदेश की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विचार कर निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक : 17 फरवरी 2026

एन.एस. राठौर

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”